

रोलिंग विज्ञापन संख्या 05-02 /
ROLLING ADVT. NO. 05-02
Website Ref. RollingAdvtNo0502

परियोजना शीर्षक: 'इवेल्यूएशन ऑफ रेशनली डिजाइन्ड इनफलुन्ज वैक्सीन्ज़'

परियोजना कोड: सीएलपी-031

पद :- प्रोजेक्ट एसोशिएट-II= 02

अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर/एमवीएससी अथवा इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष

(II) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों तथा वैज्ञानिक गतिविधियों और सेवाओं में अनुसंधान तथा विकास में दो साल का अनुभव

वाछंनीय : पिशिया पेस्टोरिस/फंगल आधारित प्रोटीन एक्सप्रेसन में अनुभवी उम्मीदवार

अधिकतम आयु -35 वर्ष

मासिक परिलब्धियां : (I) रुपये 35000 /- एवं एचआरए उन स्कॉलर्स के लिए जो (ए) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा – सीएसआईआर – यूजीसी नेट जिसमें लेक्चरशिप अथवा गेट शामिल है अथवा (बी) केन्द्र सरकार के विभागों और उनकी एजेंसियों और संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित हैं।

(II) अन्य लोगों के लिए जो उपरोक्त (I) के अंतर्गत नहीं आते रू. 28000/- एवं एचआरए

प्रशासनिक अधिकारी

Project titled: “Evaluation of Rationally Designed Influenza Vaccines”

Project Code: CLP-031

Position: Project Associate-II = 02

Essential Qualification: Master’s Degree in Natural or Agriculture Sciences/ MVSc or Bachelor’s degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognized University or equivalent; and

(ii) Two Years experience in Research and Development in Academic Institutions or Science and Technology Organisations and Scientific activities and services.

Desirable: Candidates with experience in Pichia pastoris/fungal based protein expression.

Upper Age limit (years) - 35

Monthly Emoluments: (i) Rs. 35,000/- +HRA to Scholars who are selected through a (a) National Eligibility Tests – CSIR-UGC NET including lectureship or GATE or (b) A selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their agencies and Institutions.

(ii) Rs. 28,000/- +HRA for others who do not fall under (i) above

ADMINISTRATIVE OFFICER